मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1208 भोपाल दिनांक 14 अगस्त 2019

प्रति,

(01) संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

(02) सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... जिला ....(म0प्र0)

विषयः–ई–अनुज्ञा पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण दर्ज जानकारी में सुधार/संशोधन/डिलिट की कार्यवाही करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1182–1183 दिनांक 31/07/2019 एवं पत्र क्रमांक/1186–1187 दिनांक 05 अगस्त 2019।

–0–

उल्लेखित विषय में आप अवगत ही हैं कि दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रदेश की समस्त 257 कृषि उपज मण्डी समितियों में एक साथ ई–अनुज्ञा पोर्टल का क्रियान्वयन किया जाना आरम्भ किया जा रहा है। जिसमें शतप्रतिशत ई–अनुज्ञा जारी किये जायेंगे।

2/ दिनांक 01 जुलाई 2019 से 05 जुलाई 2019 के मध्य ई–अनुज्ञा क्रियान्वयन के दौरान यह तथ्य सामने आया था कि कुछ मण्डी समितियों के द्वारा ई–अनुज्ञा पोर्टल में पाक्षिकी विवरण पत्रक, भुगतान पत्रक, मण्डी फीस जमा, प्रदेश के बाहर से आयातित कृषि उपज, बिलों के आधार पर विक्रय, घोषणा पत्र प्ररुप–10, अनुज्ञा पत्र प्ररुप–9, व्यापारी पंजीकरण इत्यादि की निर्धारित Screens (स्क्रीन्स) में डाटा प्रविष्टि करते समय त्रुटिपूर्ण जानकारी दर्ज हो जाने की सूचना मोबाईल, ई–मेल एवं पत्र के माध्यम से प्रेषित कर उसमें सुधार, हटाने तथा डिलीट का अनुरोध किया गया था।

ई–अनुज्ञा पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण दर्ज जानकारी में सुधार/संशोधन/डिलिट की कार्यवाही करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया का समावेश किया गया है :–

3/ किसी मण्डी समिति के द्वारा दैनिक कार्य संचालन के दौरान भूलवश त्रुटिपूर्ण जानकारी ई–अनुज्ञा पोर्टल में सुरक्षित/सत्यापित हो जाती है तो बिना विलम्ब किये हुये इसकी सूचना अपनी मण्डी समिति के सचिव को देवें क्योंकि उनकी लॉगिन आई.डी. के माध्यम से वे चालू दिवस की त्रुटिपूर्ण जानकारी में सुधार, संशोधन/डीलिट की कार्यवाही कर सकने में सक्षम होंगे।

ऐसी त्रुटिपूर्ण जानकारी जो चालू दिवस की समाप्ती उपरांत संज्ञान में आती है अथवा लाई जाती है तो वह मण्डी सचिव लॉगिन आई.डी. के माध्यम से पूर्ण विवरण के साथ स्वतः

Sandeep

पोर्टल जनित रिक्वेस्ट तैयार कर निराकरण के लिये मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल को भेजी जावेगी अथवा मण्डी सचिव के द्वारा ई–मेल से भेजी जावेगी।

4/ प्रदेश की मण्डी समितियों के ई–अनुज्ञा कार्य में लगे कर्मचारियों को ई–अनुज्ञा पोर्टल को समझने व कार्य में अभ्यस्त होने के लिये थोड़ा समय लगना स्वभाविक है। फिर भी यह आवश्यक है कि ई–अनुज्ञा पोर्टल पर मण्डी समितियों के कार्य प्रशिक्षित कर्मचारियों को ध्यानपूर्वक प्रविष्टि करना चाहिये एवं जानकारी को अंतिम रुप से सुरक्षित/सत्यापित करने के पूर्व उसका मिलान/जांच अवश्य ही अच्छी तरह से करना चाहिये जिससे त्रुटि की संभावना नगण्य होगी एवं पोर्टल में सही जानकारी दर्ज होगी जिसके फलस्वरुप मण्डी समिति को सही एवं वास्तविक राजस्व की प्राप्ती सुनिश्चित होगी।

(डॉ.केदार सिंह)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1209 भोपाल दिनांक 14 अगस्त 2019
प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) अपर संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) श्री ए0एन0सिद्धीकी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(03) श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(04) संयुक्त संचालक (नियमन)/उप संचालक (वित्त/आडिट), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल